प्रेस नोट

थाना रक्सा

दिनांक 13.09.2023

गोवध अधिनियम से संबंधित 07 अभियुक्त 05-05 वर्ष के कारागार व प्रत्येक 4 लाख 15 हजार (कुल 29 लाख 5 हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में प्रदेश में जघन्य अपराधियों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की प्रभावी पैरवी कराकर ऑपरेशन कंविक्शन के तहत शीघातिशीघ सजा दिलाये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती रनेहा तिवारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री देशराज सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री देवेश पांचाल, प्र0नि0 श्री अशोक कुमार उपाध्याय व पैरोकार हे0का0 259 देवेन्द्र सिंह द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2022 धारा3/5(क)/5(ख)/8 उ०प्र0 गौवध निवारण अधि0 1955 व 420/467/468/471/34 भा0द0वि0 व 7 सी.एल.ए. एक्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2 झाँसी द्वारा नियत तिथियो पर निरन्तर सघन पैरवी करते हुये आज दिनाँक 13.09.2023 अभियुक्तगण 1. वाजिद पुत्र नूरहसन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी नई बस्ती कैलाश पुर <mark>थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर उ०प्र, 2. कलीम पुत्र स</mark>ईद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी नई बस्ती कैलाशपुर थाना गागालहेडी जिला सहारनपुर, 3.रिजवान पुत्र नवी अख्तर निवासी वडी धन्नी थाना कोखराज जिला कौशाम्वी 4.इश्तिखार खान पुत्र लियाकत अली निवासी 74/82 कन्धाईपुर धूमनगंज प्रयागराज 5. फारुख पुत्र मोहम्मद कादिर निवासी संसार चुन्ना का मकान इस्लामापुरा थाना मुरैना म0प्र0 6. सय्यद सलमान अहमद उर्फ सय्यद हमजा पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी 101/29, <mark>कर्नल गंज कानपुर नगर, कानपुर नगर 7.मोनू कौशल पुत्र राजेश क</mark>ौशल नि0 170 वैना रोड राजपुर जैनपुर कानपुर देहात को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को धारा 5(क)/8 उ०प्र० गौवध निवारण अधि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित , धारा 5ख उ0प्र0 गौवध निवारण अधि में 5 वर्ष के सश्रम कारावस व 1,00,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित , धारा 468/34 भा0द0स0 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड दण्डित, धारा 471/34 भा0द0स0 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड दण्डित किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्तगण पर कुल 2905000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी।

पैरवी हेतु चिन्हित टीम का विवरण -

- 1. क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती रनेहा तिवारी
- 2. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री देशराज सिंह
- 3. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री देवेश पांचाल
- 4. श्री अशोक कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना रक्सा झाँसी
- 5. पैरोकार हे0का0 259 देवेन्द्र सिह थाना रक्सा जनपद झाँसी